

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास - अशोक कुमार योगी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 85/2023

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोडेन्ट
वीरभान पुत्र भंवराराम जाति राईका निवासी सिरासना तहसील डेगाना जिला नागौर		राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार डेगाना

उपस्थिति :-

1. श्री मुकेश चौधरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक: 14.02.2024

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 334/2023 सरकार बनाम वीरभान में निर्णय दिनांक 01.11.2023 के तहत मौजा सिरासना की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 18.12.2023 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 22.12.2023 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में नायब तहसीलदार डेगाना के निर्णय दिनांक 01.11.2023 की फोटोप्रति पेश की।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि दिनांक 01.11.2023 को अपीलांत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व जवाब मय दस्तावेज व साक्ष्य सबूत के पेश करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निवेदन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौखिक में प्रार्थी/अपीलांत के निवेदन को स्वीकार कर लिया गया व प्रार्थी/अपीलांत के हस्ताक्षर खाली आदेशिका पर करवा लिये व अपीलांत को जवाब व साक्ष्य का समय प्रदान नहीं किया गया। अपीलांत भी अधीनस्थ न्यायालय से संतुष्ट होकर अपने घर आ गया व अपीलांत को यह कहा गया कि आपके खिलाफ कार्यवाही ज़ॉप कर दी जावेगी। किन्तु अपीलांत को अचानक ही पटवारी हल्का द्वारा अपीलांत के विरुद्ध दिनांक 01.11.2023 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश कर दिये गये थे, की जानकारी दी गई, तब अपीलांत ने अधीनस्थ न्यायालय से नकल के लिए आवेदन प्रस्तुत किया व दिनांक 13.12.2023 को नकल प्राप्त कर नागौर आया व अपना अधिवक्ता मुकर्रर कर उनसे कानूनी सलाह लेकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो जानकारी से अंदर मियाद है, जिससे अपील को अन्दर मयाद शुमार किये जाने बाबत आवेदन पेश किया। न्याय हित में देरी माफ कर अपील अंदर मियाद शुमार की जाना न्याय संगत है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांत की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांत ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)- निर्णय जेर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरुद्ध साक्ष्य व रेकॉर्ड के विरुद्ध तथा मौके की स्थिति के विरुद्ध होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)- अपीलांत को अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर ही नहीं दिया एवं नोटिस जारी होने के महज 05 दिनों के भीतर ही अपीलांत का प्रकरण मात्र एक पेशी पर ही बिना अपीलांत को साक्ष्य, सबूत व जवाबदेही का युक्तियुक्त, सम्यक व पर्याप्त अवसर दिये ही केवलमात्र पटवारी हल्का सिरासना की रिपोर्ट को एकतरफा में हुबहु आधार बनाते हुए निस्तारित कर मातहत न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अल्प समय में ही बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय जेर अपील पारित किया है, इस कारण निर्णय जेर अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जब अपीलांत उपस्थित हुआ था, तब अपीलांत को यह कहकर आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये थे कि आपकी उपस्थिति, दर्ज करनी है व आपको जवाब व साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जायेगा, मगर अपीलांत को मुगालते में रखकर अपीलांत के विरुद्ध दिनांक 01.11.23 को ही बेदखली व जुर्माने के आदेश पारित कर अधीनस्थ न्यायालय ने भारी विधिक त्रुटि कारित की है।

{2}(IV)- अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को दिये गये नोटिस दिनांक 26.10.2023 में यह अंकन किया गया है कि खसरा नम्बर 762 गैर मुमकिन रास्ता पर अतिक्रमण किया गया है, लेकिन पटवारी हल्का द्वारा नजरी नक्शा दिनांक 25.10.2023 बनाते समय पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कही भी खसरा नम्बर 762 गैर मुमकिन रास्ता का उल्लेख नहीं है,

नाप का उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर, किस आसे-पासे पड़ोसों के बीच अतिक्रमण किया है, इस बाबत मौका रिपोर्ट में किसी प्रकार का अंकन नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[2](V)-अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय अत्यन्त ही जल्दी एवं हड़बड़ी रखते हुए निर्णय पारित किया है, क्योंकि वर्तमान प्रकरण में न तो अपीलांत को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिया गया व न ही जवाब हेतु अवसर दिया गया, मात्र जल्दबाजी पूर्वक अपीलांत को बेदखली करने के उद्देश्य से यह निर्णय जेर अपील पारित किया है, जिससे भी आदेश जेर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

[2](VI)- मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शे के संबंध में पटवारी हल्का के बयान लेने व उसके उपरांत विधि सम्मत रूप से प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुरूप अपीलांत प्रभावित व हितबद्ध पक्षकार को प्रति-परीक्षण का अवसर दिये बिना ही आदेश जेर अपील पारित किया गया है, इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलांत के विरुद्ध की गई कार्यवाही सरसरी तौर पर की गई है।

[2](VII)- सम्पूर्ण मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय में बैठकर बनाई हुई प्रतीत होती है, क्योंकि पटवारी हल्का द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया गया, न ही मौके पर जाकर विधि सम्मत मुन्तकिल पाइंट निर्धारित कर नाप चौप किया गया, इससे यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत रूप से अवलम्बन लेकर निर्णय जेर अपील पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

[2](VIII)- खसरा नम्बर 762 वाके मौजा सिरासना में स्थित हैं, जो गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज हैं, उक्त रास्ता के पूर्वी तरफ अपीलांत का खातेदारी का खेत आया है, अपीलांत के खातेदारी के खेत के पश्चिम तरफ गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड के अनुसार मौके पर विधिवत रूप से चल रहा है। उक्त रास्ते पर अपीलांत के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई अतिक्रमण पक्का मकान बनाकर नहीं किया गया है। उक्त दीवार मुझ अपीलांत के खातेदारी के खेत की भूमि में ही बनी हुई है। इस कारण प्रथम दृष्टिया की धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम द्वारा अपीलांत के विरुद्ध की गई कार्यवाही निरस्त योग्य है।

[2](IX)- नजरी नक्शा जो कि धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की पत्रावली के साथ संलग्न है, उस पर पटवारी के हस्ताक्षर किये हुए हैं, उक्त नजरी नक्शा किन स्वतंत्र मौतबिरान के समक्ष बनाया गया, पूर्व, पश्चिम उत्तर, दक्षिण किस दिशा में कितने भू भाग पर अतिक्रमण किया गया, अतिक्रमण की लम्बाई व चौड़ाई का अंकन भी नहीं है। अतिक्रमण की गई भूमि के आस पड़ोस व सड़क के संबंध में किसी भी प्रकार का कोई भी कथन अंकित नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त रिपोर्ट मौके पर जाकर नहीं बनाई गई है, अपितु कार्यालय में बैठकर ही मुर्तिब की गई है, इस आधार पर भी अपीलांत के विरुद्ध जो कार्यवाही की गई है, उसे निरस्तनीय है।

[2](X)- पटवारी हल्का सिरासना द्वारा अपीलांत को खसरा नम्बर 762 गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर जो अतिक्रमण बताया गया है, जो गलत तथ्यों के आधार पर बताया गया है, उक्त रास्ते की पूर्वी तरफ अपीलांत का खातेदार का खेत आया हुआ है, उक्त खेत की भूमि में ही मकान बनाम हुआ है, उक्त मकान खेत खरीदा उस समय से आज दिन उसी स्थिति में बना हुआ है। अपीलांत द्वारा इस कृषि वर्ष या अन्य कभी भी रास्ते या अन्य किसी तरह की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

[3]-राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांत द्वारा मौजा सिरासना में स्थित गै. मु. रास्ता पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांत को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलांत को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जेर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]- उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार, डेगाना द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मौजा सिरासना के प्रकरण संख्या 334/2023 सरकार बनाम वीरभान निर्णय दिनांक 01.11.2023, से असंतुष्ट होकर अपील पेश की। आदेश जेर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस दिया गया है, अपीलांत का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]- उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। आदेश जेर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

[6]- निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)

अपर कलक्टर,

नागौर

अपर कलक्टर, नागौर